

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/20/784

भिलाई, दिनांक 22-7-2020

//आदेश//

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के आदेश क्रमांक/522/अति.जि.दण्डा./2020 दिनांक 20.07.2020 के द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 22.07.2020 से 29.07.2020 तक प्रतिबंधित किया गया है, एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूर्वानुसार संचालित रहेंगे आदेश किया गया है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में नगर पालिक निगम, भिलाई के अधिकारी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत है। अतः मुख्य कार्यालय एवं समस्त जोन कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील से लागू होगा।


(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/20/785

भिलाई, दिनांक 22-7-2020

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर दुर्ग, जिला-दुर्ग को सूचनार्थ।
2. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता परियोजना/जलकार्य, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 01/02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. सर्व विभाग प्रमुख.....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. सर्व जोन आयुक्त, जोन 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

E:Drive/R.Y./order